| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10.4.18 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के [illegible] के कारण [illegible] प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। [illegible] पूर्ववत स्थिति ------------ 2-5-18 को पेश हो। | |
| 2.5.18 | पत्रावली को लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 27-6-18 कैम्प मदनपुरा को पेश हो। | |
| 27/6/18 | पत्रावली लोक अदालत केम्प मदनपुरा में पेश हुई। पैरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। पैरोकार सरकार नें कथन किये कि वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर विवादित आराजी वाके ग्राम दीवानिया तहसील दीगोद स्थित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सीताराम के स्थान पर छीतरलाल दर्ज किये जानें हेतु प्रस्तुत किया है। किन्तु मात्र जमाबंदी एवं ग्राम पंचायत की तस्दीक के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम बदलना उचित नहीं है। अतः दावा खारिज किया जावें। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के समर्थन में मात्र ग्राम पंचायत मदनपुरा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे उक्त तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि वादी का वास्तविक नाम छीतरलाल ही है। अन्य कोई समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वादी अपनें वाद पत्र को साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प मदनपुरा**

## उनवान

छीतरलाल पुत्र मन्ना जाति गूजर निवासी दीवानिया तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट**

**मिसल नम्बर– 91/14**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी खारिज किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 27.06.2018 को जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुदालयह | रुपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद



Scanned by CamScanner